



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GM 874807



N.S. Affixed Rs-10

(प्रारूप-“अ”)

समक्ष: प्राविधिक शिक्षा परिषद्, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।


हम शमशेर बहादुर सिंह पुत्र मणिराम सिंह अध्यक्ष एवं श्रीमती हेमलता पत्नी राम बचन सिंह क्रमशः अध्यक्ष एवं सहमंत्री डॉ० रामप्रसन्न मणिराम सिंह कॉलेज ऑफ फार्मसी, ग्राम व पोस्ट सरायरासी, अयोध्या शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-

धारा-1 यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट श्रीमती पियारी देवी स्मारक समिति सरायरासी के द्वारा डॉ० रामप्रसन्न मणिराम सिंह कॉलेज ऑफ फार्मसी, ग्राम व पोस्ट सरायरासी, अयोध्या नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

धारा-2 यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम सरायरासी, अयोध्या में भूमि स्थित है गाटा संख्या 356/0.2310हे० व 357/0.1160हे० व 359/0.0860हे० व 362/0.0340हे० व 363/0.0240हे० व 368/0.6400हे० कुल रकबा 0.809हे० भूमि है।

धारा-3 यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।

(1)


Hemlata Singh

यह कि उपरोक्त चले पर सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम पर बना भूमि के माल मालका 200 / 5, 200/1000
200 / 5, 200/1000 न 200 / 5, 200/1000 न 200 / 5, 200/1000 न 200 / 5, 200/1000 भूमि है। यह उपरोक्त भूमि की किलोमीटर इन फार्मसी संस्थान की संस्थान किने जाने पर
प्रस्ताव सोसाइटी / ट्रस्ट की वेबसाइट पर 15.08.2022 द्वारा प्रकट किया गया है।

धारा-6 यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्तावित किलोमीटर फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों पर
निर्माण अनुमोदित भवनों की अनुमति किया गया है।

धारा-6 यह कि निर्माण समिति के समक्ष उपरोक्त चले पर सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम भूमि पर एक पर
निर्मित एवं निर्दिष्ट भवनों को ही निर्माण समिति के समक्ष निर्माण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

धारा-7 यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के
विधानों के अन्तर्गत ही किलोमीटर फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

धारा-8 यह कि इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक
शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश समया के अनुसार ही पाठ्यक्रम में अतिरिक्त प्रदान किया
जायेगा।

धारा-9 यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली
से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, 20000 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त
किसी अन्य परिषद / विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य
संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय / आईटीआई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है,
और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

धारा-10 यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक कलास कम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि
को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही
सुसज्जित किया जायेगा।

धारा-11 यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती
सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

धारा-12 यह कि शासन / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भलीभांति पालन करेगा। यदि मेरे
संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की
निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा
कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

धारा-13 हम घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण
रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी, कूटस्थित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये
जाते है तो हमारे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी
विधिक कार्यवाही हेतु हम स्वयं उत्तरदायी होंगे।

HO अध्यक्ष

HO सहमंत्री

Handwritten signatures and stamps, including a red stamp that says "verified By Sr" and a date "19/08/2024".

Handwritten signature: Hemlata